भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 321
उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 05 फरवरी, 2024
16 माघ, 1945 (शक)

प्राचीन किलों और मंदिरों का पुनरूद्धार

321. श्री देवजी पटेल:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का स्वर्णगिरि किला, लोहियानागढ़, कोट कस्ता किला तोपखाना (संस्कृत पाठशाला), अचलगढ़ किला, अचलेश्वर महादेव मंदिर-माउंट आबू, भीममाल का वराह मंदिर, नर्मदेश्वर घाट मंदिर, सिलू सांचोर को विश्व धरोहर घोषित करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने ऐसे प्राचीन मंदिरों और किलों के पुनरूद्धार की कोई योजना बनाई है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): जी, नहीं। इनमें से किसी भी संपत्ति को विश्व विरासत सूची में शामिल करने का प्रस्ताव नहीं किया गया है। विश्व विरासत सूची में किसी स्थल का शामिल करना इसके उत्कृष्ट सार्वभौमिक महत्व, प्रमाणिकता और अखडता तथा परिचालन दिशानिर्देश, 2023 में यथा परिभाषित मानंदडों को पूरा करने पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित संपति को इसके नामांकन डोजियर को प्रस्तुत करने से कम से कम एक वर्ष पहले यूनेस्कों की अनंतिम सूची में होना चाहिए। इन संपत्तियों में से किसी को भी अनंतिम सूची में शामिल नहीं किया गया है।

(ग) और (घ): स्वर्गगिरी किला, लोहियानागढ़, कोटकस्ता किला, तोपखाना (संस्कृत पाठशाला), अचलगढ़ किला, अचलेश्वर महादेव मंदिर-माउंट आबू, भीममल का वराह मंदिर, नर्मदेश्वर घाट मंदिर, सीलू-संचोर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार-क्षेत्र में नहीं है। तथापि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षणाधीन मंदिरों और किलों सहित सभी स्मारक भली-भांति संरक्षित और परिरक्षित हैं। नियमित कार्य स्मारक की आवश्यकता और वार्षिक संरक्षण योजना के आधार पर किए जाते हैं।

*****